



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122021-231860
CG-DL-E-14122021-231860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4818]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943

No. 4818]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5199(अ).—केंद्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50), की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसाकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए कि ऐसे उत्पाद या उपकरण के किसी प्रकार के परिचालन पट्टा सहित मिश्रित परिचालन और वित्तीय पट्टे को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3/4/ईएम/2020]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2021

S.O. 5199(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Central Government hereby notifies operating lease including any hybrid of operating and financial lease of such product or equipment as may be specified by International Financial Services Centres Authority, as financial product.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 3/4/EM/2020]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.